ी जांच शुरू

ायलॉज का अध्ययन करने पर हीं इसका जिक्र नहीं है कि 45 वर्ष ऊपर वालों को परमानेंट नहीं किया जाएगा। नियमों का खुलेआम ल्लंघन किया जा रहा है। मंत्री ने पने साला विकास पांडेय को हज 120 दिनों में ही दैनिक से रमानेंट कर्मचारी नियुक्त कर दिया। बकि रिजाइन देकर संस्था छोड़ चुके चुनमुन तिवारी को बरसों बाद ीरगंज में दोबारा परमानेंट स्टाफ के रूप में नियुक्ति दी गई है। श्रम धीक्षक ने बताया कि खादी ामोद्योग के खिलाफ दो कर्मियों की ओर से परिवाद दायर किया गया है। ोटिस जारी किया गया। दोनों पक्षों ी सुनवाई व जांच के साथ दोषी र कार्रवाई की जायेगी।

सड़क हादसे में महिला घायल

गोपालगंज | महम्मदपुर थाने के श्यामपुर गांव के समीप गुरुवार को एक सड़क हादसे में 70 वर्षीय वृद्ध महिला फुलझरी देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। बताया जा रहा है कि महिला सड़क पार कर रही थीं, तभी बाइक की टक्कर लग गई। स्थानीय लोगों की मदद से उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार किया। हादसे के बाद बाइक चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

विवाद में महिला घायल

बैकुंठपुर | स्थानीय थाने के बनौरा गांव में गुरुवार को आपसी विवाद के दौरान मारपीट की घटना हुई। इस घटना में 25 वर्षीय महिला पूनम देवी गंभीर रूप से घायल हो गईं। परिजनों ने उन्हें इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बैकुंठपुर में भर्ती कराया। ग्रामीणों के अनुसार विवाद पारिवारिक कलह को लेकर हुआ था। पुलिस ने घटना की जानकारी मिलने पर जांच शुरू कर दी है।

हथुआ प्रखंड में 30 फीसदी जमाबंदी पंजी का वितरण

भास्कर न्यूज़ | मीरगंज

राजस्व महा अभियान के तहत अब तक हथुआ प्रखंड में 30 फ़ीसदी से अधिक जमाबंदी पंजी स्थानीय रैयतों के बीच बांटी जा चुकी है। हथुआ के सीओ राज नारायण राजा ने बताया कि जमाबंदी पंजी के वितरण के लिए स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सभी कर्मियों की सेवाएं ली जा रही है जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, विकास मित्र, अंचल अमीन, जीविका दीदी आदि शामिल है। उन्होंने बताया कि अमीनो के अचानक हड़ताल पर जाने के कारण वितरण मे कुछ बाधा आई है पर युद्ध स्तर पर काम जारी है। वहीं चुनाव संबंधी कार्यों में कई कर्मियों के लगाए जाने के कारण परेशानी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि पूरे हथुआ प्रखंड मे 109 मौजा है जिसमें 6900 रैयतों के बीच जमाबंदी पंजी का वितरण करना है। उन्होंने बताया कि 30 अगस्त तक जमाबंदी पंजी के वितरण का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इस कार्य के लिए प्रखंड के विभिन्न पंचायत के जनप्रतिनिधियों का भी मदद लिया जा रहा है।

ातार
लाभ
पर
हा ने
करने
ा के
ांडल
डित,
सिंह,
ीराम
कशोर
मश्रा,
नडीए

ा

म

को
खपुर
र के
दी।
जेश
के
ाया।
क में
ा ने
वान
का
की
सिद्ध
भाई।
स्कृत
ार्षद
वंशी,
लीप
सिंह

सेन्ट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया
Central Bank of India
क्षेत्रीय कार्यालय, पटेल चौक- सीवान-841226

परिशिष्ट-IV-A [नियम 8(6) का प्रावधान देखें]

अचल संपत्तियों की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के परन्तुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल आस्तियों के विक्रय हेतू ई-नीलामी विक्रय सूचना।

एतद्द्वारा सर्वसाधारण एवं विशेष रूप से ऋणी(कों) और जमानतदार(कों) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल संपत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता के पास गिरवी /प्रभारित है, जिसका प्रतीकात्मक कब्जा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया (सुरक्षित ऋणदाता) के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, जिसे ऋणी/ऋणदाताओं एवं जमानतदारों से सुरक्षित ऋणदाताओं को बकाया राशि की वसूली के लिए दिनांक 23.09.2025 को 'जैसा है जहाँ है', 'जैसा है जो है' एवं 'जो कुछ भी है' के आधार पर बेचा जाएगा। संबंधित संपत्तियों के विवरण के सामने आरक्षित मूल्य एवं बयाना राशि (ईएमडी) प्रदर्शित की गई है।

क्र. सं.	शाखा	उधारकर्ता का नाम	मांग सूचना के अनुसार बकाया राशि	दिनांक 20.08.2025 तक बकाया एवं वसूली योग्य राशि	अचल संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य/ईएमडी /बोली वृद्धि राशि
1.	गोपालगंज	**श्री रंजन कुमार एवं चंदन कुमार** पिता अशोक साह **गारंटर**-श्रीमती नैना देवी पति केदार साह, ग्राम -भोजपुरवां, थाना-मांझागढ़, जिला-गोपालगंज, पिन-841428	**रु. 3,78,405.50** (रुपये तीन लाख अट्ठहत्तर हजार चार सौ पाँच एवं पचास पैसे मात्र) + उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क।	**रु.12,79,648/-** (रूपये बारह लाख उनासी हजार छह सौ अड़तालीस मात्र) + उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क।	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग जो श्रीमती नैना देवी के नाम से विलेख संख्या-25705 दिनांक 15.12.1993 के अनुसार भोजपुरवां, तौजी संख्या-3947, थाना संख्या-90, खाता संख्या-100, सर्वेक्षण संख्या-782, रकबा-1 कट्ठा स्थित है। **संपत्ति की चौहद्दी**- उत्तर-सड़क, दक्षिण-निज, पूर्व-निज, पश्चिम-निज	रु. 43,29,000/- रु. 4,32,900/- रु. 10,000/-
2.	खजुराहा	**मेसर्स भोरे सर्विस स्टेशन** प्रोप.- स्वर्गीय नंदलाल राम पिता-सर्वजीत राम कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से, ग्राम-चक्रवाखास, पोस्ट-भोरे, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज। **जमानतदार**- स्वर्गीय जनार्दन प्रसाद सिंह पिता-चंद्रबली सिंह कानूनी उत्तराधिकारियों के माध्यम से, ग्राम+पोस्ट+थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज	**रु.62,84,893/-** (रुपये बासठ लाख चौरासी हजार आठ सौ तिरानवे मात्र) + उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क	**रु.69,82,832** (रुपये उनहत्तर लाख बेरासी हजार आठ सौ बत्तीस मात्र) + उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क	संपति (भूमि) का साम्यिक बंधक श्री नंदलाल राम पिता-सर्वजीत राम के नाम पर स्थित है, बिक्री विलेख संख्या-15235 दिनांक-03.12.1985, मौजा-चक्रवाखास, पोस्ट-भोरे, थाना-भोरे, जिला-गोपालगंज, तौजी-संख्या-3296, थाना संख्या- 230, खाता संख्या-11, सर्वे संख्या- 1708, क्षेत्रफल- 10 कट्ठा 17 धुर, **चौहद्दी**- उत्तर- सरोज देवी, दक्षिण- शीला देवी, पूर्व-सड़क, पश्चिम- शीला देवी	रु 1,43,94,850/- रु 14,39,485/- रु 10,000/-
3.	गोपालगंज	**श्री अनिल सिंह** पिता- शंकर सिंह एवं श्रीमती सीमा देवी पति- अनिल सिंह, राजीव नगर, वार्ड संख्या- 14, थाना-गोपालगंज, जिला- गोपालगंज, पिन-841426	**रु.12,75,968** (रुपये बारह लाख पचहत्तर हजार नौ सौ अड़सठ मात्र) + उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क	**रु.30,74,156/-** (रुपये तीस लाख चौहत्तर हजार एक सौ छप्पन मात्र) + उस पर अतिरिक्त ब्याज एवं अन्य कानूनी शुल्क	अचल संपत्ति का वह समस्त भाग जो निम्न स्थानों पर स्थित है- संपत्ति का सामयिक बंधक- श्रीमती सीमा देवी के नाम से भूमि एवं दो मंजिला भवन, विक्रय विलेख संख्या- 5232 दिनांक-21.05.2015 गोपालगंज, तौजी संख्या- 3947, थाना संख्या-83, खाता संख्या- 172, सर्वे संख्या- 1417, रकबा- 8 धुर मात्र **चौहद्दी**- उत्तर- प्रभुनाथ सिंह एवं जवाहर सिंह का मकान, दक्षिण- निज मुकीर एवं 6 फीट रास्ता, पूर्व- मोहन सिंह का मकान, पश्चिम- दुनमुन सिंह का मकान	रु 34,90,745/- रु 3,49,074/- रु 10,000/-

सुरक्षित ऋणदाता को ज्ञात भार-शून्य

निरीक्षण की तिथि एवं समय	बोली राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी तिथि एवं समय
दिनांक 20.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से शाम 4.00 बजे तक	दिनांक 22.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक	दिनांक 23.09.2025 को सुबह 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक

बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए, कृपया वेबसाइट www.banknet.com पर जाएँ।

उधारकर्ता/गारंटर (ओं) को सूचित किया जाता है कि ऊपर उल्लिखित संपत्तियों की नीलामी की जाएगी एवं बिक्री से प्राप्त राशि के विनियोजन के बाद, यदि कोई शेष राशि होगी, तो उसे आपसे ब्याज एवं लागत सहित वसूल किया जाएगा।

दिनांक -20.08.2025
स्थान-सीवान

विवाद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ्य मान्य होगा

प्राधिकृत अधिकारी
सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया